चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की

१२४वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : ०४.१२.२००३

समय : पूर्वान्ह ११.०० बजे

स्थान : कुलपति सभा कक्ष

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२
प्रबन्ध मण्डल की १२४वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति समिति कक्ष, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२ — **दिनांक : दिसम्बर ०४, २००३**
समय : पूर्वान्ह ११.०० बजे

उपस्थिति

१-	डा० पी० के० सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
२-	डा० बी०एस०हन्सरा, सहायक महानिदेशक, (कृषि प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
३-	श्री छेदालाल, विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
४-	प्रो० एस०एम०ए० रिजवी	सदस्य
५-	श्रीमती मुन्नी देवी	सदस्य
६-	श्री आसिफ अली खाँ	सदस्य
७-	श्री आर० के० दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

अनुपस्थित

१-	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
२-	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
३-	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
४-	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
५-	श्री शिव कुमार बेरिया, विधायक	सदस्य

मद संख्या १

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक ३०.०७. २००३ को सम्पन्न हुई १२३वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन। ।

प्रबन्ध मण्डल ने १२३वीं बैठक जो दिनांक १३.८.२००३ को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या २

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की १२३वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक १३.०८.२००३ को सम्पन्न हुई १२३वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही पर सहमति एवं संतुष्टि व्यक्त की गयी।

मद संख्या ३

शिक्षकों / वैज्ञानिकों की अधिवर्षता आयु ६२ वर्ष किये जाने के लिये परिनियमावली में संशोधन हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल ने विचार किया और निर्णय लिया कि प्रस्ताव के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की परिनियमावली में संशोधन हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाय।

EXISTING	PROPOSED AMENDMENT
7. The age of super-annuation for all classes of employees of the University shall be 60 (Sixty) years. In no case extension or reemployment will be given to any of its employees. "Provided that if the of super-annuation of a teacher does not fall on June 30, the teacher shall continue in service till the end of the academic session i.e. June 30 following and he will be treated on re-employment from the date immediately following the date his super-annuation till June 30 following". 7A "Provided further that if the date of superannuation of an employee falls due to any date during the currency of the month, then such employee shall retire on the last date of the respective month.	The age of super-annuation for all classes of employees of the University, except teachers/ Scientists who are governed by UGC Pay scales, shall be 60 (Sixty) years and for teachers / scientists who are governed by UGC payscales, shall be 62 (sixty two) years.* In no case extension or re-employment will be given to any of its employees. 7A "Provided further that if the date of superannuation of an employee including teachers / scientists who are governed by UGC pay scales falls due on any date during the currency of the month, then such employee shall retire on the last date of the respective month. However, employee whose date of birth is the first of the month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceeding month on attaining the age of super-annuation as the case may be

* आईसीएआर द्वारा अपने पत्र संख्या F.No.1(7)/98-Per.IV दिनांक ५ नवम्बर २००३ में ६० से ६२ वर्ष सेवा निवृत्त करने के सम्बन्ध में निम्न संस्तुति भी की गई है।

"The above decision for enhancement of age of superannuation from 60 to 62 years is applicable to those teachers/scientists who are still in service and also those who are due to retire on 31st October, 2003."

प्रबन्ध मण्डल ने ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में शासन की वर्तमान नीति कि - "५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी अनुमन्य है तथा ६० वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं है।" पर विचार किया एवं संस्तुति की कि ६२ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी की सुविधा शासन द्वारा अनुमन्य करायी जाय।

मद संख्या ४

भारतीय सैन्य अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के गुरसहॉयगंज प्रक्षेत्र को अधिग्रहण हेतु दिनांक ०८.०६.२००३ को प्रक्षेत्र की गई पैमाइश के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रकरण को संज्ञान में लिया।

मद संख्या ५

डा० बिजेन्द्र सिंह, सहायक अभिजनक, (शाक-भाजी)/सहायक प्राध्यापक, अर्थ बनस्पति विद् (शाक भाजी) अनुभाग का दो वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने संबन्धी प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० बिजेन्द्र सिंह, सहायक अभिजनक (शाक भाजी) / सहायक प्राध्यापक, अर्थ बनस्पति विद् (शाक भाजी) अनुभाग को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि २८.८.२००३ (अपरान्ह) से २७.८.२००५ तक विश्वविद्यालय नियम / परिनियम के तहत धारणाधिकार सुरक्षित रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या ६

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा उपयोग किये गये उपार्जित / चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने निम्न कर्मचारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित अवकाश स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

क्रमाक	कर्मचारी का नाम, पद नाम एवं विभाग	विवरण
१.	श्रीमती संगीता गुप्ता, परियोजना सहायक / प्रशिक्षण सहायक, (गृह विज्ञान) पादप रोग विज्ञान	२०.३.२००३ से दिनांक २०.६.२००३ (६३ दिन) तक चिकित्सा अवकाश के आधार पर उपार्जित अवकाश
२.	श्रीमती पद्मा देवी, चपरासी रबी सस्य अनुभाग	दिनांक २१.०३.२००३ से २४.६.२००३ तक (९६ दिन) उपार्जित अवकाश
३.	श्री दिनेश कुमार, क्षेत्र परिचर, दलहन अनुभाग	दिनांक ०१.०९.२००२ से २३.२.२००३ तक (१८६ दिन) चिकित्सा अवकाश
४.	श्री ओम प्रकाश, माली, उद्यान विज्ञान विभाग	दिनांक २७.०५.२००२ से ०४.१२.२००२ (१९२ दिन) चिकित्सा अवकाश

मद संख्या ७

निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) द्वारा ''सेन्ट्ली स्पान्सर्ड स्कीम मैक्रो मैनेजमेन्ट आफ एग्रीकल्चर सप्लीमेन्टेशन आफ स्टेट इफर्ट थ्रो वर्क प्लान'' डेवलपमेन्ट आफ स्पाइसेस २००३-०४ को कार्यान्वित करने हेतु

प्रबन्ध मण्डल ने निदेशक, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) द्वारा ''मैक्रो मैनेजमेन्ट आफ एग्रीकल्चर सप्लीमेन्टेशन आफ स्टेट'' इफर्ट थ्रो वर्क प्लान'' परियोजना की स्वीकृति धनराशि रू० ३,२५,०००.०० (रू० तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या ८

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सहायता के डेवलपमेंट एण्ड स्ट्रेन्थनिंग आफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के मद में प्रथम छमाही धन रू० १५१.०० लाख के आवंटन तथा व्यय का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई दिल्ली के पत्र संख्या एफएन १२(२५)/२००२-ईपी एण्ड डी के द्वारा वर्ष २००३-०४ हेतु केन्द्रीय सहायता के डेवलपमेंट एण्ड स्ट्रेन्थनिंग आफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के मद में प्राप्त धन रू० १५१.०० लाख की धनराशि को व्यय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या ९

वित्तीय वर्ष २००३-०४ में विश्वविद्यालय को माह अक्टूबर २००३ से दिसम्बर २००३, (३ माह हेतु) स्वीकृत अनुदान को व्यय हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने शासनादेश संख्या २७०३/६७-कृ०शि०अ०-०३-१५००(७२)/०३ दिनांक अक्टूबर ०१, २००३ में स्वीकृत धनराशि रू० ६२४.७२ लाख को व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या १०

वित्तीय वर्ष २००२-२००३ के पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष २००३-०४ के अनुमानित आय व्ययक जो बजट परीक्षण समिति द्वारा संस्तुत किये गये हैं पर अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने बजट परीक्षण समिति द्वारा वित्तीय वर्ष २००२-०३ तथा वित्तीय वर्ष २००३-०४ के अनुमानित आय व्ययक पर अपनी सहमति प्रदान की।

मद संख्या ११

विश्वविद्यालय की विषम वित्तीय स्थिति पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने विषम वित्तीय स्थिति को संज्ञान में लिया तथा धनराशि प्राप्त करने हेतु शासन स्तर पर और अधिक प्रयास किये जाने के निर्देश दिये।

मद संख्या १२

विद्वत परिषद द्वारा संस्तुत शुल्क पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने विद्वत परिषद की संस्तुतियों के आधार पर शुल्क वसूल करने पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १३

गृह विज्ञान संकाय में नव सृजित विभागों / विषयों में परास्नातक स्तर पर मेरिट छात्रवृत्ति स्वीकृतम करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने निम्न विवरणानुसार मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु संस्तुति प्रदान की।

क्रम संख्या	विभाग / विषय	छात्रवृत्ति की संख्या	धनराशि
१-	क्लाथिंग एवं टेक्सटाइल	१	रू० ४००/- प्रतिमाह दो वर्ष के लिए
२-	चाइल्ड डेवलपमेन्ट	१	- तदैव -
	योग	२	

मद संख्या १४

अध्यक्ष महोदय की अनुमति के अन्य प्रस्ताव पर विचार।

मद संख्या १४.१

प्रबन्ध मण्डल की ११२वीं बैठक दिनांक ७.६.२००० को बैठक के अन्त में प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिये गये अन्य निर्देश के अनुपालन में श्रीमती रंजना सिंह, पूर्व परियोजना सहायक, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही, एवं त्याग-पत्र स्वीकृत से पूर्व दिनांक १.६.२००० से १३.११.२००० (१६६ दिन) तक असाधारण अवैतनिक अवकाश का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा श्रीमती रंजना सिंह, पूर्व परियोजना सहायक, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक १.६.२००० से १३.११.२००० (१६६ दिन) तक असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने पर संस्तुत प्रदान की।

मद संख्या १४.२

विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-XIII-4(a) (4) के प्रावधानानुसार अधिष्ठाता, कृषि संकाय एवं अधिष्ठाता, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, इटावा का कार्यकाल एक टर्म (तीन वर्ष) बढ़ाये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० के० डी० उपाध्याय, अधिष्ठाता, कृषि संकाय एवं डा० मंशा राम वर्मा, अधिष्ठाता, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, इटावा का कार्यकाल एक टर्म (तीन वर्ष) बढ़ाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १४.३

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न प्रकार के आवासीय परिसरों का नामाकरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के आवासों को नाम परिर्वतन पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

क्रमांक	आवास / स्थल का नाम	घोषित नाम
१.	विश्वविद्यालय का पूर्ण परिसर (रावतपुर, नवाबगंज, कम्पनीबाग, मेडिकल कालेज एवं चिड़ियाघर के मध्य का क्षेत्र जो विश्वविद्यालय का भू-भाग	आजाद कृषि विश्वविद्यालय परिसर
२.	मुख्य आवासीय परिसर (क्रीडा स्थल के समीप भू-भाग पर स्थित आवासीय परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के मुख्य अधिकारी निवास करते हैं)	कृषि कुण्ज
३.	ए एवं बी टाइप आवास (चाँदमारी के पीछे)	हरित विहार
४.	खलवा आवास / १० सुपरवाइजर आवास	शिशिर विहार
५.	सी टाइप आवास (प्रसार निदेशालय एवं कुलपति निवास के बीच के आवास)	बसन्त विहार
६.	ए एवं बी टाइप आवास (निदेशेक बीज एवं प्रक्षेत्र कार्यालय के समीप)	हेमन्त विहार
७.	भेड़ीखाना (उद्यान विभाग के समीप)	शान्ति विहार

बैठक समाप्त होने के पूर्व प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया शिक्षकों/वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत सम्बन्धी प्रदत्त अधिकारों को पूर्व की भाँति करने हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

दिनांक : ०९ दिसम्बर, २००३

(राजीव कुमार दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल